<u>न्यायालयः–अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर</u>

पीठासीन अधिकारी :: शिव कुमार
जिला न्यायाधीश संवर्ग

विविध दीवानी प्रकरण संख्या (हि.वि.अ.)–166/2018
(*COM.N.* 124/18)

सुनीता पत्नी अमरीकसिंह पुत्री गुरमेलसिंह जाति रामदासिया निवासी वार्ड नं0 1 आर सी पी कालोनी, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

––प्रथम पक्षकार

ए व म्

अमरीकसिंह पुत्र हरिचंद जाति रामदासिया उम्र 36 साल जाति निवासी चक 45 आर बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

––द्वितीय पक्षकार

<u>याचिका अंतर्गत धारा 13 (बी) हिन्दू विवाह अधि0</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री जसवंतसिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रथम पक्ष।
2. श्री रमेश कुमार, अधिवक्ता द्वितीय पक्ष।

<u>:: निर्णय ::</u>

दिनांकः–28.08.2019

1. याचीगण सुनीता व अमरीकसिंह की ओर से उपरोक्त याचिका अन्तर्गत धारा–13(बी) हिन्दु विवाह अधिनियम–1955 के तहत परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद हेतु दिनांक 25.09.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत होने के उपरांत नियमानुसार पंजीबद्ध हुई।

2. याचिका के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पक्षकारान् पति–पत्नी हैं एवं हिन्दू विधि से शासित होते हैं। याचीगण का विवाह आज से 14 वर्ष पूर्व याचीया के पिता के घर अनूपगढ में सम्पन्न हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही पक्षकारों के मध्य आपसी घरू कलह को लेकर मनमुटाव हो गया तथा इसी वजह से दोनों पक्षकार लगभग चार वर्ष से अधिक समय से अलग अलग रह रहे है। पक्षकारों की तरफ से कई बार पंचायतें हुई लेकिन दोनों पक्षों के मध्य साथ रहने पर सहमति नहीं बनी और ना ही भविष्य में साथ रहने की संभावना है। पक्षकारों के मध्य वैवाहिक संबंध बिल्कुल टूट चुके हैं। पक्षकारो के मध्य वैचारिक मतभेद इतने अधिक बढ गये हैं कि दोनों के लिये बतौर पति पत्नी एक साथ रहना संभव नहीं है एवं दोनों पक्ष करीब चार साल से अलग

अलग रह रहे है एवं इस दौरान दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार के शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए है और ना ही दाम्पत्य संबंधों की पुनः स्थापना की कोई संभावना है। पक्षकारान् के वैवाहिक संबंधों से दो पुत्र जसनदीपसिंह व हर्षदीपसिंह पैदा हुए जो आपसी सहमति से याचीया के पास रहेंगे। पक्षकारान ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला लिया है। याचीया सुनीता ने अपनी एवं अपने नाबालिंग पुत्रगण के भविष्य के भरण पोषण की समस्त एकमुश्त राशि एवं अपना स्त्रीधन अमरीकसिंह से प्राप्त कर लिया है। पक्षकारान् के मध्य कोई दुरभि संधि नहीं है। अंत में याचिका माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की होना बताते हुए पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद किए जाने का निवेदन किया गया।

3. याचिका प्रस्तुत होने के पश्चात पक्षकारान् न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उनके मध्य समझौता वार्ता करवाई गई लेकिन आवेदकगण दोनों एक दूसरे के साथ रहने को सहमत नहीं हुए। दोनों में राजीनामा होना सम्भव प्रतीत नहीं होता है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के पश्चात 6 माह की अवधि भी व्यतीत हो चुकी है तथा पक्षकारान बावजूद समझौता वार्ता के बतौर पति–पत्नी साथ रहने को सहमत नहीं हुए हैं।

4. पक्षकारान् के द्वारा मौखिक साक्ष्य में गवाह ए ड 1 अमरीकसिंह (द्वितीय पक्षकार) एवं ए ड 2 सुनीता (प्रथम पक्षकार) की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गई।

5. हमने उभय पक्षकारान को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि गवाह ए ड 1 अमरीकसिंह एवं ए ड 2 सुनीता ने अपने सशपथ बयानों में आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हुए इसी आशय के कथन किए हैं कि याचीगण का विवाह आज से 14 वर्ष पूर्व याचीया के पिता के घर अनूपगढ में सम्पन्न हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही पक्षकारों के मध्य आपसी घरू कलह को लेकर मनमुटाव हो गया तथा इसी वजह से दोनों पक्षकार लगभग चार वर्ष से अधिक समय से अलग अलग रह रहे है। पक्षकारों की तरफ से कई बार पंचायतें हुई लेकिन दोनों पक्षों के मध्य साथ रहने पर सहमति नहीं बनी और ना ही भविष्य में साथ रहने की संभावना है। पक्षकारों के मध्य वैवाहिक संबंध बिल्कुल टूट चुके हैं एवं दोनों पक्ष करीब चार साल से अलग अलग रह रहे है तथा इस दौरान दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार के शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए है। पक्षकारान् के वैवाहिक संबंधों

से दो पुत्र जसनदीपसिंह व हर्षदीपसिंह पैदा हुए जो आपसी सहमति से याचीया के पास रहेंगे। पक्षकारान ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला लिया है। याचीया सुनीता ने अपनी एवं अपने नाबालिंग पुत्रगण के भविष्य के भरण पोषण की समस्त एकमुश्त राशि एवं अपना स्त्रीधन अमरीकसिंह से प्राप्त कर लिया है। पक्षकारान् के मध्य कोई दुरभि संधि नहीं है। प्रथम पक्ष ने अपने एवं अपने पुत्रगण की भरण पोषण राशि एक मुश्त तथा अपना स्त्रीधन द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया है। पक्षकारान आपसी सहमति से तलाक की डिक्री प्राप्त करना चाहते हैं।

6. उभय पक्षकारान् की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत तलाक याचिका दाखिल होने के उपरांत न्यायालय के स्तर पर दोनों पक्षों के मध्य समझाईश करवाई गई एवं उभय पक्षों को समझाईश के लिए 6 माह का अपेक्षित समय प्रदान किया गया। दोनों आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत याचिका में वर्णित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि दोनों पक्षों (सुनीता–पत्नि एवं अमरीकसिंह–पति) का विवाह याचिका पेश करने से करीब 14 वर्ष पूर्व हिन्दू रीति रिवाज के मुताबिक प्रथम पक्ष के पिता के घर अनूपगढ में सम्पन्न हुआ था। पक्षकारान् ने तलाक याचिका में याचिका पेश करने से चार वर्ष पूर्व से एक–दूसरे से अलग रहना कहा है तथा दोनों पक्षों के द्वारा पारस्परिक सहमति के आधार पर तलाक की डिक्री पारित करने का निवेदन किया गया है।

7. याचीगण के अभिवचनों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से उनके मध्य किसी प्रकार की दुरभि संधि होना दृष्टिगोचर नहीं होता है। हस्तगत तलाक याचिका दाखिल किए हुए 6 माह का समय व्यतीत हो चुका है। अतः याचीगण सुनीता व अमरीकसिंह की ओर से प्रस्तुत तलाक याचिका दिनांकित 25.09.2018 को स्वीकार किया जाना विधिसम्मत् एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

8. याचीगण सुनीता (प्रथम पक्षकार पत्नि) एवं अमरीकसिंह (द्वितीय पक्षकार पति) के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13 (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम–1955 पारस्परिक सहमति के आधार पर स्वीकार करते हुए प्रथम पक्षकार सुनीता व द्वितीय पक्षकार अमरीकसिंह के मध्य सम्पन्न हुए विवाह को पक्षकारान् की आपसी सहमति से आज दिनांक 28.08.2019 से विवाह विच्छेद की

डिक्री द्वारा विच्छेदित (विघटित) किया जाता है। नियमानुसार डिक्री बनाई जावे तथा पक्षकारान को डिक्री की एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

(शिव कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश,
अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

9. निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश,
अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।